1 आपराधिक प्रकरण कमांक 427/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 427 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 03 / 07 / 2015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > अभियोजन

बनाम

- जसवंतसिंह कुशवाह पुत्र लाल सिंह कुशवाह उम्र 42 वर्ष
- 2. नवलसिंह पुत्र लाल सिंह कुशवाह उम्र 25 वर्ष
 - मचलसिंह पुत्र मुन्नालाल कुशवाह उम्र 33 वर्ष निवासीगण ग्राम माता का पुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.

<u>...... अभियुक्तगण</u>

(अपराध अंतर्गत धारा— 325 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री एस०एस० श्रीवास्तव।)

<u>::- नि र्ण य -::</u> (आज दिनांक 26/12/2017 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 20/05/15 को शाम लगभग 8:10 बजे बस स्टैण्ड गोहद में फरियादिया गुड्डीबाई की जमीन पर पटककर मारपीट कर उसे अस्थिमंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहित कारित करने हेतु भा0द0स0ं की धारा 325 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया गुड़डीबाई तथा उसके पति आरोपी जसवंत के मध्य गोहद न्यायालय में केस चल रहा है। दिनांक 20.05.15 को फरियादिया गुड़डीबाई गोहद न्यायालय में तारीख पर आई थी। तारीख करने के बाद वह अपने घर मौ जा रही थी तभी बस स्टैण्ड गोहद में उसे आरोपी जसवंत, नवलिसंह तथा मचलिसंह उसे मिले थे और उससे केस में राजीनामा करने के लिए कहा था उसने राजीनामा करने से मना किया था तो इसी बात पर तीनों आरोपीगण ने जमीन पर पटककर उसकी मारपीट की थी जिससे उसके बांये हाथ की कोहनी, बांये कंधे एवं दाहिने पैर के घुटने पर तथा सिर में पीछे की तरफ, कमर एवं पीठ में मूंदी चोटें आई थीं उस समय उसके जैसी कहने वाला वहां पर कोई नहीं था। फरियादिया गुड़डीबाई द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। फरियादिया के लेखीय आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में

<u>अ0क0 188 / 15</u> पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--
 - 1. क्या दिनांक 20/05/15 को फरियादिया गुड्डीबाई के शरीर पर उपहतियां थीं ? यदि हां तो उनकी प्रकृति ?
 - 2. क्या उक्त उपहतियां फरियादिया गुड्डीबाई को आरोपी और केवल आरोपीगण द्वारा ही स्वेच्छया कारित की गयीं थीं ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी मुन्ना खटीक आ०सा०1, फिरयादिया गुड्डीबाई आ०सा०2, डॉ० धीरज गुप्ता आ०सा०3, प्रधान आरक्षक महेश धाकरे आ०सा०4 एवं धारा सिंह अ०सा०5 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में आरोपी जसवंत वा०सा०1 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 20.05.15 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक भगवत शर्मा द्वारा लाये जाने पर श्रीमती गुड़डीबाई का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने गुड़डीबाई के शरीर पर चार चोटें पाई थीं जिनमें से चोट क्रमांक 1 बांये हाथ के नीचे खरोंच, चोट क्रमांक 2 बांये कंधे पर सूजन, चोट क्रमांक 3 दांये घुटने पर खरोंच एवं चोट क्रमांक 4 कमर में दोनों ओर कन्टयूजन स्थित था आहत सिर में पीछे की तरफ दर्द बता रही थी लेकिन वहां कोई दर्शनीय चोट नहीं थी। उसके बताये अनुसार उक्त सभी चोटें उसकी परीक्षण अविध के पूर्व एक से तीन दिन के अंदर की थी तथा कठोर एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी—3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 21.05.15 को आहत गुड़डीदेवी के बांये कंधे का एक्सरे परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने आहत गुड़डीबाई के बांयी क्लेविकल अस्थि में अस्थिभंजन होना पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी—4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आहत को आई चोटें गिरने से आना संभव हैं।
- 8. फरियादिया गुड़डीबाई अ०सा०२ ने भी अपने कथन में मारपीट के दौरान उसके गर्दन, सिर, पैर में चोटें आना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन घटना दिनांक को उसके शरीर पर चोटें होने

के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। प्र0पी—1 के आवेदन में भी फरियादिया गुड्डीबाई के शरीर पर चोंटे होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादिया गुड्डीबाई अ0सा02 का कथन प्र0पी—1 के आवेदन से भी पुष्ट रहा है उक्त बिन्दु पर फरियादिया गुड्डीबाई अ0सा01 के कथन का समर्थन डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 द्वारा किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन घटना दिनांक को फरियादिया गुड्डीबाई के शरीर पर चोटें होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है। डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा03 चिकित्सकीय विशेषज्ञ होकर स्वतंत्र साक्षी हैं उसकी फरियादिया से कोई हितबद्धता एवं आरोपीगण से कोई रंजिश होना अभिलेख से दर्शित नहीं है। उक्त साक्षी का कथन अपने परीक्षण के दौरान घटना दिनांक को फरियादिया गुड्डीबाई के शरीर पर उपहित होने के बिन्दु पर अखण्डनीय भी रहा है एवं अखण्डनीय रहे कथन के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि अखण्डनीय रहे कथन की सीमा तक उभयपक्षों के मध्य कोई विरोध नहीं है।

- 9. फलतः उपरोक्त अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को फरियादिया गुड़डीबाई के शरीर पर उपहतियां थीं जिनकी प्रकृति गंभीर थी।
- 10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

- 11. अब मुख्य विचारणसीय प्रश्न यह है कि क्या उक्त उपहितयां फिरयादिया गुड्डीबाई को आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया कारित की गयीं थीं। उक्त संबंध में फिरयादिया गुड्डीबाई अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालययीन कथन से लगभग दो साल पहले की है। घटना वाले दिन वह तारीख पर आई थी एवं तारीख करके अपने घर जा रही थी। वह गोहद बस स्टैण्ड पर पहुंची थी तभी उसे बस स्टैण्ड पर उसका पित आरोपी जसवंत, नवलिसंह एवं मचलिसंह मिले थे और उससे कहा था कि तू राजीनामा कर ले नहीं तो तुझे जान से मार देंगें। उसने राजीनामा करने से मना किया था तो आरोपी जसवंत, नवल और मचल ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके गर्दन, सिर, पैर में चोट आई थी उसकी कॉलर बोन टूट गयी थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी—1 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। नक्शामौका प्र0पी—2 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था।
- 12. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह घटना की दिन, तारीख, महीना नहीं बता सकती है। उसका एक भरण पोषण का मुकद्दमा चल रहा है और कोई मुकद्दमा नहीं चल रहा है वह भरण पोषण वाले मुकद्दमें में तारीख करने आई थी उसे नहीं मालूम कि जिस दिन झगड़ा हुआ उथा उस दिन कौन सी तारीख थी। घटना वाले दिन वह तारीख पर न्यायालय आई थी उसने अंगूठा तारीख पर नहीं लगाया था उसके वकील साहब ने कहा था कि तुम्हारी तारीख हो गयी है तुम जाओ इसलिए उसने अंगूठा नहीं लगाया था वह तारीख करके करीब 5 बजे न्यायालय से बस स्टैण्ड के लिए गयी थी वह 10–15 मिनट बैठी रही थी उसके बाद झगड़ा हुआ था झगड़े में बीच बचाव करने कोई नहीं आया था। पद कमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि झगड़ा करीब एक घण्टे चला था उसके चिल्लाने पर कोई नहीं आया था। आरोपीगण ने पीछे से आकर झगड़ा किया था आरोपीगण एकदम आकर टूट पड़े थे कोई बातचीत नहीं की थी। वह नहीं बता सकती कि जसवंत ने

कितनी लातें दी थीं अन्य आरोपीगण ने लातें नहीं दी थीं। जसवंत द्वारा मारपीट करने से उसके सिर में चोट आई थी उसके सिर, गर्दन तथा घुटने में चोट थी। पद कमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह बस स्टैण्ड अकेली नहीं गयी थी उसे कोई आदमी ले गया था जिसका नाम उसे नहीं मालूम है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके साथ जब झगडा हुआ था उस समय कोई नहीं था।

- 13. साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०1 ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पहले रात्रि आठ—साढे आठ बजे बस स्टैण्ड पर एक महिला का तीन व्यक्तियों से झगडा हो रहा था तभी उनमें से एक आदमी महिला की मारपीट करने लगा था उसने बीच बचाव कराया था। उसने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वह पति पत्नी हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वह हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानता है। आरोपीगण द्वारा उसके सामने कोई मारपीट नहीं की गयी थी।
- 14. साक्षी धारासिंह अ०सा०५ ने न्यायालय के समक्ष अपन कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसे घटना की जानकारी नहीं हैं उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इकार किया गया है कि घटना वाले दिन उसके सामने तीन व्यक्तियों ने एक महिला से झगडा किया था एवं एक व्यक्ति ने महिला की जमीन पर पटककर उसकी मारपीट की थी।
- 15. प्र0आरक्षक महेश धाकरे अ०सा०४ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 16. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 17. आरोपीगण की ओर से बचाव के दौरान आरोपी जसवंत व0सा01 को परीक्षित कराया गया है। जसवंत व0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसका गुड़डीबाई से 21 साल पहले से तलाक हो गया है गुड़डीबाई 21 साल से मौ में रह रही है। गुड़डीबाई ने उसके उपर झूटा मामला बनवाया है उसने व उसके भाइयों ने गुड़डीबाई की मारपीट नहीं की थी। उसका और गुड़डीबाई का न्यायालय में भरण पोषण का मामला चल रहा है और उस मामले में 20.05.15 की कोई तारीख नियत नहीं थी उक्त दिनांक को वह और उसके भाई माता के पुरा में थे गोहद नहीं आये थे। उसके उपर गुड़डीबाई ने पहले भी दो झूटे मुकददमें लगाये थे जिनमें वह बरी हो गया था उसके भरण पोषण वाले मामले में दिनांक 18.05.15 नियत थी आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि प्र0डी—1 है। निर्णय दिनांक 11.05.16 की सत्यप्रतिलिपि प्र0डी—3 है।
- 18. प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी धारासिंह अ०सा०5 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 19. जहां तक साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०१ के कथन का प्रश्न है तो मुन्ना खटीक अ०सा०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण में घटना वाले दिन एक महिला का तीन व्यक्तियों से झगडा होना बताया है परन्तु

प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था एवं उसके सामने किसी औरत की मारपीट नहीं हुई थी वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था वह हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानता है आरोपीगण ने उसके सामने कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०1 के कथन से यह दर्शित है कि मुन्ना खटीक अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में एक महिला का तीन व्यक्तियों से झगडा होना बताया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था उसके सामने कोई झगडा नहीं हुआ था। साक्षी मुन्ना खटीक अ०सा०1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं ऐसी स्थित में उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- 20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में फिरियादिया गुड्डीबाई अ0सा01 के कथन का समर्थन स्वतंत्र साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि प्रकरण में साक्षी धारासिंह अ0सा05 एवं मुन्ना खटीक अ0सा01 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि फिरियादिया के कथनों की स्वतंत्र साक्षियों से संपुष्टि का जो नियम है वह विधि का न होकर प्रज्ञा का है यदि फिरियादिया के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि उनके कथनों की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गयी है। अब देखना यह है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में फिरियादिया गुड्डीबाई अ0सा02 के कथन इतने विश्वसनीय है जिसके आधार पर आरोपीगण को दोषारोपित किया जा सकता है।
- फरियादिया गुड़डीबाई अ०सा०२ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया है कि घटना वाले दिन वह तारीख पर आई थी और तारीख करके अपने घर जा रही थी तो गोहद बस स्टैण्ड पर उसे आरोपी जसवंत, नवलसिंह एवं मचलसिंह मिले थे आरोपीगण ने उससे राजीनामा करने के लिए कहा था एवं जब उसने आरोपीगण से राजीनामा करने से मना किया था तो आरोपी जसवंत, नवल तथा मचल ने उसकी लात घूंसों से मारपीट की थी जिससे उसके सिर, गर्दन, एवं पैर में चोट आई थी तथा उसकी कॉलर बोन टूट गयी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह झगडे वाले दिन भरण पोषण वाले मामले में तारीख करने आई थी। तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्र0डी-1 की आदेश पत्रिका के अनुसार यह दर्शित है कि भरण पोषण वाले मामले में दिनांक 20.05.15 की तारीख नियत नहीं थी ऐसी स्थिति में फरियादिया गुड़डीबाई अ0सा02 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क उचित नहीं है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से जो प्र0डी–1 की आदेश पत्रिका प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है उससे यह दर्शित है कि उक्त भरण पोषण वाले मामले में 20.05.15 की तारीख नियत नहीं थी परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया है कि घटना वाले दिन वह न्यायालय में आई थी उसने तारीख पर अंगूठा नहीं लगाया था उसके वकील साहब ने उससे कहा था कि तुम्हारी तारीख हो गयी है तुम जाओ इसलिए उसने अंगूठा नहीं लगाया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि पक्षकार सामान्यतः न्यायालय में नियत तारीख के अलावा भी अपने अभिभाषक से अपने प्रकरणों की चर्चा करने के लिए न्यायालय में आते रहते हैं। फरियादिया गुडडीबाई अ0सा02 अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला है एवं उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि

घटना वाले दिन वह न्यायालय में अपने वकील साहब के पास आई थी उसने तारीख पर अर्थात न्यायालय की फाइल पर अपना अंगूठा नहीं लगाया था ऐसी स्थिति में फरियादिया का यह कथन कि घटना वाले दिन वह न्यायालय में आई थी अस्वाभाविक नहीं है एवं मात्र उक्त आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता है।

- 22. फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि करीब एक घण्टे झगड़ा चला था तथा उसके चिल्लाने पर कोई नहीं आया था। वह मौके पर बेहोश हो गयी थी और उसे बस स्टैण्ड में ही होश आ गया था एवं बस स्टैण्ड पर उपस्थित लोग उसे थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए ले गये थे। इस प्रकार फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ ने अपने कथन में यह बताया है कि वह मौके पर बेहोश हो गयी थी परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र०पी—1 के आवेदन में नहीं है परन्तु उक्त तथ्य इतना तात्विक नहीं है जिसके आधार पर अभियोजन घटना के प्रति संदेह उत्पन्न हो। फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि बस स्टैण्ड पर उपस्थित लोग उसे थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए ले गये थे परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक मामले से तब तक नहीं जुड़ना चाहता है जब तक कि उस मामले में उसका व्यक्तिगत हित न हो आम जनता आपराधिक मामलों से अपने को प्रथक रखती है ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि फरियादिया द्वारा बस स्टैण्ड पर उपस्थित लोगों में से किसी को प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 23. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादिया द्वारा पूर्व में भी आरोपी जसवंत के विरुद्ध मिथ्या आपराधिक मामले पंजीबद्ध कराये गये थे जिनमें वह दोषमुक्त हो चुका है एवं फरियादिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण भी असत्य रूप से पंजीबद्ध कराया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से जो प्र0डी—2 एवं प्र0डी—3 के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपियां प्रकरण में प्रस्तुत की गयी हैं उनसे यह दर्शित है कि आरोपी जसवंत पूर्व आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्त हो चुका है परन्तु मात्र इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि फरियादिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 24. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादिया द्वारा आरोपीगण को रंजिशन अपराध में झूठा फंसाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान है परन्तु रंजिश ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादिया द्वारा आरोपीगण को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही आरोपीगण द्वारा फरियादिया की मारपीट भी की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि डाँ० धीरज गुप्ता अ०सा०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उक्त चोटें उनके परीक्षण के तीन दिन पूर्व पहुंचाई गयीं थीं ऐसी स्थिति में फरियादिया गुड्डीबाई के कथन चिकित्सकीय रिपोर्ट से भी पुष्ट नहीं है एवं यह तथ्य संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद बना देता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि डाँ० धीरज गुप्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि चोटें

तीन दिन पूर्व पहुंचाई गयी होंगी परन्तु उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि उपरोक्त सभी चोटें एक से तीन दिन के अंदर की थीं तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने सभी चोटें एक से तीन दिन पूरानी होना पाया था। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादिया गुड़डीबाई अ०सा०1 ने अपने कथन में घटना वाले दिन आरोपीगण द्वारा उसकी मारपीट करना एवं मारपीट से उसके गर्दन, सिर, पैर में चोटें आना तथा उसकी कॉलर बोन टूट जाना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक विसंगतियों से परे रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डाँ० धीरज गुप्ता अ०सा०३ प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है उक्त साक्षी द्वारा चोटों की अवधि के संबंध में मात्र अपनी राय दी गयी है एवं यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि फरियादिया एवं चिकित्सक साक्षी के कथनों में कोई अंर्तविरोध हो तो फरियादी के कथन चिकित्सक साक्षी के कथनों पर अभिभावी रहेंगें उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत जमूना और अन्य विरुद्ध म०प्र० राज्य आई०एल०आर० २००९ पेज २४—२५ पैरा १५ एवं १७ में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य में कोई अंर्तविरोध हो तो देखी गयी साक्ष्य चिकितसकीय साक्ष्य पर अभिभावी रहेगी क्योंकि चिकित्सकीय साक्ष्य केवल विशेषज्ञ साक्ष्य के रूप में होती है जबकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की अभिसाक्ष्य वास्तविक घटना के बारे में बतायी गयी साक्ष्य होती है। ऐसी स्थिति में मात्र उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।🔨

- 26. जहां तक जसवंत ब0सा01 के कथन का प्रश्न है तो आरोपी जसवंत ब0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने व उसके भाइयों ने फिरयादिया गुड़डीबाई की कोई मारपीट नहीं की थी परन्तु उक्त संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे ऐसी स्थिति में आरोपी जसवंत व0सा01 के कथनों से भी आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 27. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं कराया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 के आवेदन के आधार पर लिखी गयी है तथा फरियादिया गुड्डीबाई ने प्र0पी—1 के आवेदन के तथ्यों को प्रमाणित किया है इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक को परीक्षित न कराना अभियोजन की प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं उक्त त्रुटि से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 28. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया गुड्डीबाई अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना दिनांक को आरोपी जसवंत, नवलिसंह एवं मचलिसंह द्वारा उसकी लात घूंसों से मारपीट करना वं मारपीट में उसके सिर, गर्दन, पैरों में चोट आना तथा उसकी कॉलर बोन टूट जाना बताया है उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभासों से परे रहा है। फरियादिया द्वारा घटना की सूचना यथाशीध्र थाने पर दी गयी है। फरियादिया गुड्डीबाई अ0सा02 का कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी—1 के आवेदन से भी पृष्ट रहा है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी फरियादिया गुड्डीबाई के

शरीर के उन्हीं भागों पर चोटें आना वर्णित है जिन भागों पर मारपीट के दौरान चोटें आना फरियादिया द्वारा बताया गया है इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ का कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट रहा है ऐसी स्थिति में फरियादिया गुड्डीबाई अ०सा०२ की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

- फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपीगण जसवंत, नवलसिंह और मचलसिंह ने फरियादिया गुड़डीबाई की लात घूंसों से मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित की।
- अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादिया गुड़डीबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी। उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य पूर्व से विवाद चल रहे थे एवं उक्त विवादों के कारण ही घटना वाले दिन फरियादिया एवं आरोपीगण के मध्य विवाद हुआ था तथा आरोपीगण द्वारा फरियादिया की मारपीट की गयी थी मारपीट करते समय आरोपीगण यह समझने में सक्षम थे कि उनके द्वारा जिस तरह से फरियादिया गूड़डीबाई की मारपीट की जा रही है उससे फरियादिया गूड़डीबाई को उपहति कारित होना संभावित है। आरोपीगण का ऐसा कहना भी नहीं है कि उनके द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादिया गुड्डीबाई को उपहति कारित की गयी थी ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया गुड़डीबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।
- फलतः उपरोक्त चरणें में की गयी समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 20.05.15 को शाम लगभग 8:10 बजे बुस स्टैण्ड गोहद में फरियादिया गुड़डीबाई की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी जसवंत, मचलसिंह, एवं नवलसिंह को भा0द0स0 की धारा 325 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया 32. गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्चः –

- आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावें।
- आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व

दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपीगण द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपीगण द्वारा जिस तरह से फरियादिया गुड्डीबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नही है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी जसवंतसिंह, नवलसिंह, एवं मचलसिंह को भा०द०स० की धारा 325 के अंतर्गत निम्नानुसार दण्ड से दण्डित करती है :-

स.क.	आरोपी का नाम	धारा भा0द0स0	कारावास (सश्रम)	अर्थदण्ड राशि रूपये	व्यतिकम सश्रम
1	जसवंतसिंह	325	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	दो माह
2	नवलसिंह	325	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	दो माह
3	मचलसिंह	325	एक वर्ष	2000 (दो हजार)	दो माह

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। 36

आरोपीगण जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे है उसके संबंध में धारा 428 द. 37 प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपीगण द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपीगण इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहे है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाये जावे।

स्थान – गोहद दिनांक - 26 / 12 / 2017 ्श्रेणी न्यारि प्र0) निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)